प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

राज्य के सभी प्रधान/प्राचार्य,
अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, हरियाणा।

यादीक्रमांक 2/12–2017 सी–II(1)
दिनांक, पंचकूला 7.12.2017

विषयः– **अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भता प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शन देने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

राज्य के कुछ अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा मकान किराया भता प्राप्त करने की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.07.2016 के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। मकान किराया भता प्राप्त करने की अधिसूचना के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया जाता है:–

1. नियम 14 (2) ऐ0 एव बी :– तैनाती स्थान(जहां पर कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं) उस तैनाती स्थान से शहर अथवा गांव की बाहरी सीमा से 20 किलोमीटर तक अगर कोई निवास करता है तो वह उस क्षेत्र की नगरपालिका की परिधि में मान्य होगा।
2. नियम 14 (3) नोट :– मकान किराया भत्ता सभी को अनुरोध (देय) होगा यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य एक मकान तथा अपने मकान में इक्कटठे रह रहे हैं तो सभी मकान किराया भता के पात्र होंगे। जहां तक किराए की रसीद का सम्बन्ध है अगर कोई कर्मचारी/अधिकारी किराए के मकान में रहता है तो उसे अपने कार्यस्थल पर इस रसीद को प्रस्तुत करना होगा तथा आमदनी कर से छूट लेने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।
3. नियमानुसार स्वंय प्रमाणित शपथ–पत्र स्वीकार्य होंगे, परन्तु अगर किसी मामले में कोई शिकायत अथवा असत्यता पायी जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी से उसकी तस्दीक करवा सकता है।
4. बीस किलोमीटर तक स्थानीय अवकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु 20 किलोमीटर की परिधि से बाहर जिन कर्मचारी/अधिकारियों का निवास स्थान होगा उन मामलों में स्थानीय अवकाश की अनुमति लेनी होगी तथा यह पूर्णतया सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा तथा इसकी जिम्मेवारी भी उसी की होगी तथा उसे तैनाती स्थान या वास्तविक स्थान में से जो भी कम हो वह मकान भत्ता दिया जाएगा।

उपनिदेशक महाविद्यालय सी0सी0
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पचंकूला।